न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 2/2020

शीर्षक

1. फूलचन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द
2. प्रभूदयाल पुत्र श्री बिरदीचन्द
3. बंशीधर पुत्र श्री बिरदीचन्द

समस्त व्यस्क जाति जाट, निवासी रतनपुरा , तह0 जमवारामगढ, जिला जयपुर, (राज.)

4. लालाराम पुत्र श्री भूराराम उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी कवंरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. ग्यारसा पुत्र लादू (फौत)
   1/1. सुभाष पुत्र स्व0 ग्यारसा
   1/2. संजू पुत्र स्व0 ग्यारसा
   1/3. ममता पुत्री स्व0 ग्यारसा
   1/4. सुमित्रा पुत्री स्व0 ग्यारसा
   1/5. गुड्डी पुत्री पुत्र स्व0 ग्यारसा
   1/6. नन्छी पत्नी पुत्र स्व0 ग्यारसा
2. जगदीश पुत्र लादू (फौत)
   2/1. रामचन्द्र पुत्र स्व. जगदीश
   2/2. रोहिताश्व पुत्र स्व. जगदीश
   2/3. विकास पुत्र स्व. जगदीश
   2/4. गोठी पुत्री स्व. जगदीश
   2/5. सीता पुत्री स्व. जगदीश
   2/6. आंची देवी पत्नी स्व. जगदीश
3. भंवरा पुत्र लादू (फौत)
   3/1. रामकरण पुत्र स्व. भंवरा
   3/2.सुल्तान पुत्र स्व. भंवरा
   3/3.हंसा देवी पुत्री स्व. भंवरा
   3/4. संती पत्नी स्व. भंवरा
4. भंवरा पुत्र लादू

समस्त व्यस्क जाति जाट, निवासी ढाणी खानवाली तन शाहपुरा , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
6. उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 8.6.2022

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0–4874/0.16, 4875/0.16, कुल किता 2 रकबा 0.32 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । जिसमें वादी सं01 लगायत 3 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा एवं वादी सं0–4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा आराजी मुतनाजा पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 उपरोक्त हिस्से अनुसार ही काबिज रहकर काश्त एवं अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है।
2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का सन–2013 में आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा किया था उक्त बाहमी बंटवारा में आराजी मुतनाजा के मध्य में 30 फुट चौडाई का रास्ता कायम किया जाकर पूर्व दिशा की भूमि वादीगण के हिस्से में तथा रास्ता के पश्चिम दिशा की भूमि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के हिस्से में आयी थी वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त बाहमी बंटवारा के अनुसार ही आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है।
3. यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी कस्बा शाहपुरा की आबादी से लगती हुई है इस कारण आराजी मुतनाजा की कीमतो में बढोतरी हो गयी है जिस कारण प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के मन में दुर्भावना आ गई है और वे आराजी के विशिष्ट भू–भाग को बिना बाहमी बंटवारा के अनुसार बंटवारा कराये ही अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

4. यह कि दिनांक 09.01.2019 को वादी सं0 1 फूलचन्द अपनी भूमि में कृषि कार्य कर रहा था तब प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 नाजायज संगठन बनाकर आये और वादी सं0 1 फूलचंद को कृषि कार्य करने से रोकने लगे तब उसने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को ऐसा करने सेमना किया तथा उन्हे आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा के अनुसार बंटवारा कराने के लिए कहां तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने मना कर दिया तथा वादी सं0 1 फूलचन्द को एलानिया धमकी दी है कि वे आराजी के विशिक्ष्ट भू–भाग का अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 6 के कार्यालय में अन्तरणडी पंजीद्ध करवाकर रहेगे तथा वादीगण को भूमि से जबरन बेदखल करके रहेगे।

5. यह कि यदि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 अपने मन्सूबे में सफल हो गये और उनहोने बाहमी बंटवारे के अनुसार आराजी का बिना बंटवारा कराये ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग का अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में नतरणडी पंजीबद्ध कराकर वादीगण को भूमि से बेदखल कर देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी एवं विधिक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए प्रस्तुत वाद लाना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि बिनाय दावा वाद पत्र में अंकित आराजी मुतनाजा का प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी बंटवारो के अनुसार बंटवारा कराने से इंकार कर देने तथा वाद पत्र के जिमन नं0 4 में वर्णित प्रकार से धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

7. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ मंजूर किया जाकर वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0 3 में वर्णित बाहमी बंटवारा के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण को बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा दिया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 25.2.2021 को प्रकरण में दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया गया कि खातेदार/पक्षकारान को सूचित करते हुए कब्जे कास्त, रास्ता तथा सरस नरस के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवावे । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2022/ 837 दिनांक 11.3.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी ने कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा जरिये एकतरफा बहस में दावा अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जो सही होना पाया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण में मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार दावा अंतिम डिकी किया जाता है कि आराजी ख0नं0–4874/0.16, 4875/0.16, कुल किता 2 रकबा 0.32 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. ग्यारसा, जगदीश,भंवरा, भागीरथ पिता लादू जाति जाट सा0 देह खातेदार प्रतिवादी सं0 1 से 4 के आ0ख0 न0 4874/3 रकबा 0.0720, 4875/3 रकबा 0.0720 कुल किता 2 रकबा 0.1440 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

2.लालाराम पुत्र भूराराम हि0 1/2 जाति जाट निवासी कंवरपुर तह0 आमेर, प्रभूदयाल, फूलचन्द, बंशीधर पिता बिरदीचन्द हि0 1/2 जाति जाट निवासी रतनपुरा तह0 जमवा रामगढ जयपुर वादीगण के आ0ख0न0 4874/1 रकबा 0.0720, 4875/1 रकबा 0.0720, कुल किता 2 रकबा 0.1440 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

3. आराजी खसरा नंबर 4874/2 रकबा 0.0160 है0, 4875/2 रकबा 0.0160 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0320 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती हिस्से में किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

संख्या :– 2/2020

शीर्षक

1 फूलचन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द
2 प्रभूदयाल पुत्र श्री बिरदीचन्द
3 बंशीधर पुत्र श्री बिरदीचन्द
समस्त व्यस्क जाति जाट, निवासी रतनपुरा , तह0 जमवारामगढ, जिला जयपुर, (राज.)
4 लालाराम पुत्र श्री भूराराम उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी कवंरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1 ग्यारसा पुत्र लादू (फौत)
1/1. सुभाष पुत्र स्व0 ग्यारसा
1/2. संजू पुत्र स्व0 ग्यारसा
1/3. ममता पुत्री स्व0 ग्यारसा
1/4. सुमित्रा पुत्री स्व0 ग्यारसा
1/5. गुड्डी पुत्री पुत्र स्व0 ग्यारसा
1/6. नन्छी पत्नी पुत्र स्व0 ग्यारसा
2 जगदीश पुत्र लादू (फौत)
2/1. रामचन्द्र पुत्र स्व. जगदीश
2/2. रोहिताश्व पुत्र स्व. जगदीश
2/3. विकास पुत्र स्व. जगदीश
2/4. गोठी पुत्री स्व. जगदीश
2/5. सीता पुत्री स्व. जगदीश
2/6. आंची देवी पत्नी स्व. जगदीश
3 भंवरा पुत्र लादू (फौत)
3/1. रामकरण पुत्र स्व. भंवरा
3/2.सुल्तान पुत्र स्व. भंवरा
3/3.हंसा देवी पुत्री स्व. भंवरा
3/4. संती पत्नी स्व. भंवरा
4मंवरा पुत्र लादू
समस्त व्यस्क जाति जाट, निवासी ढाणी खानवाली तन शाहपुरा , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
6 उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट</u>

निर्णय दिनांक 8.6.22

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0नं0–4874/0.16, 4875/0.16, कुल किता 2 रकबा 0.32 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
1. ग्यारसा, जगदीश,भंवरा, भागीरथ पिता लादू जाति जाट सा0 देह खातेदार प्रतिवादी सं0 1 से 4 के आ0ख0न0 4874/3 रकबा 0.0720, 4875/3 रकबा 0.0720 कुल किता 2 रकबा 0.1440 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
2.लालाराम पुत्र भूराराम हि0 1/2 जाति जाट निवासी कंवरपुर तह0 आमेर, प्रभूदयाल, फूलचन्द, बंशीधर पिता बिरदीचन्द हि0 1/2 जाति जाट निवासी रतनपुरा तह0 जमवा रामगढ जयपुर वादीगण के आ0ख0न0 4874/1 रकबा 0.0720, 4875/1 रकबा 0.0720, कुल किता 2 रकबा 0.1440 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
3. आराजी खसरा नंबर 4874/2 रकबा 0.0160 है0, 4875/2 रकबा 0.0160 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0320 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती हिस्से में किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 8.6.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जिला जयपुर)

वाद का खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. दावा पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. —— सफहे पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	